रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032022-234426
CG-DL-E-24032022-234426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944
No. 79]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

विषय : "खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" स्कीम को जारी रखने के संबंध में।

सं. 40-1/एमवाईएएस/एमडीएसडी/2020.—खेलों में व्यापक जनसहभागिता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के युग्मित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान 3165.50 करोड़ रु. के परिव्यय से "खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

2. खेलो इंडिया स्कीम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मुख्य केंद्रीय सेक्टर की स्कीम है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है और इस प्रकार इसके व्यापक प्रभाव के माध्यम से लोगों को खेलों की शक्ति का इष्टतम उपयोग करने में समर्थ बनाना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल मैदान विकास; सामुदायिक कोचिंग विकास; सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना; ग्रामीण/ स्वदेशी खेलों सहित खेलों के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर एक मजबूत खेल अवसंरचना तंत्र की स्थापना; दिव्यांगजनों के लिए खेल तथा महिलाओं के लिए खेल; खेल अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना तथा चयनित विश्वविद्यालयों में खेल उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण; प्रतिभा पहचान और विकास; खेल अकादमियों को सहायता; स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान का कार्यान्वयन और शांति और विकास के लिए खेल शामिल हैं।

3. मौजूदा खेलो इंडिया स्कीम के मूलभूत उद्देश्यों, विजन और संरचना को बनाए रखा गया है। तथापि, मौजूदा स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान इस मंत्रालय के अनुभव के आधार पर तथा थर्ड पार्टी मूल्यांकक के मूल्यांकन/ सिफारिशों के आधार

पर इस स्कीम के कुछ घटकों का तदनुरूपी बड़े घटकों में विलय करके इन्हें पुनर्संरचित किया गया है और युक्तिसंगत बनाया गया है, इस प्रकार मौजूदा 12 घटकों को निम्नलिखित 5 घटकों में परिवर्तित किया गया है: -

(i) खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन

(ii) खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास

(iii) खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां

(iv) फिट इंडिया मूवमेंट

(v) खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना

4. इस स्कीम की अन्य विशेषताओं को मुख्य रूप से एकरूपता तथा स्थापित अच्छी कार्यपद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए बनाए रखा गया है। इसके अलावा, इस स्कीम को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित बनाकर तथा इसकी संरचना और अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण करके और इसमें अनावश्यक सामग्री को हटाकर तथा वाक्यगत कमियों को दूर करके युक्तिसंगत बनाया गया है। साथ ही, "खेलो इंडिया शीतकालीन खेल" को "खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास" घटक के तहत शामिल किया गया है। "फिट इंडिया मूवमेंट" को अलग से एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया है।

5. इस स्कीम में एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का प्रावधान किया गया है जो स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और उन्हें विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीएपीसी) के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। अनुमोदित परियोजनाएं थर्ड पार्टी निगरानी सहित गहन निगरानी के अध्ययधीन होंगी जिसके लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरों की नियुक्ति की जाएगी।

6. इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली एक सामान्य परिषद (जीसी) द्वारा किया जाएगा जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ उच्चतम नीति निर्णायक निकाय के रूप में कार्य करेगी। इस सामान्य निकाय की सहायता खेल सचिव की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यकारी समिति (एनएलईसी) द्वारा की जाएगी।

7. इस स्कीम का 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बजट आवंटन 3165.50 करोड़ रु. है।

8. मंत्रिमंडल द्वारा यथा-अनुमोदित संपूर्ण स्कीम को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाता है।

खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम (2021-22 से 2025-26)

1. खेलो इंडिया स्कीम

1.1 विजन

देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता हासिल करना।

1.2 मिशन

देश भर में खेलों को प्रोत्साहित करना जिससे लोग खेल के व्यापक प्रभाव के माध्यम से खेल की शक्ति के इष्टतम उपयोग कर सकें जिसमें बच्चों और युवाओं का समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, जेंडर समानता, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक अवसर शामिल हैं।

1.3 स्कीम के घटक

खेलो इंडिया स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: -

i) खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन

ii) खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास

iii) खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां

iv) फिट इंडिया मूवमेंट

v) खेल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना

1.3.1 खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन

i) इस घटक के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और अन्य पात्र संस्थाओं जैसे केंद्रीय/राज्य शैक्षणिक संस्थानों, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों, रक्षा/अर्धसैनिक संगठनों आदि को आधुनिक खेल अवसंरचना का निर्माण करने के साथ-साथ मौजूदा खेलों और अन्य संबंधित अवसंरचना के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा।

ii) मौजूदा अवसंरचना में महत्वपूर्ण गैप वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पात्र संस्थाओं को खेल अवसंरचना और इसका उपयोग करने की क्षमता होगी।

iii) खेल विज्ञान और खेल उपकरण के लिए भी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा।

iv) इस घटक के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन और खेल उपकरणों की खरीद के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को विश्वविद्यालयों में खेल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संचालन समिति में शामिल किया जाए।

v) खेलो इंडिया स्कीम को भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) स्कीम के साथ अभिसरित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) स्कीमों में भी इसी तरह का प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं ताकि एक विधान सभा सदस्य संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने एमएलएएलएडी फंड से खेल अवसंरचना के विकास के लिए योगदान कर सके।

vi) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को इस स्कीम के तहत सृजित खेल अवसंरचना के उपयोग के लिए जब भी आवश्यकता होगी, प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर मंत्रालय और अनुदानग्राही के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुदानग्राही भी अवसंरचना का विवेकपूर्ण उपयोग करे। खाली समय में स्कूलों, कॉलेजों, आस-पड़ोस के समुदायों और खेल परिसंघों के उपयोग के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

vii) **खेल के मैदान का विकास**: इस स्कीम के तहत ग्राम पंचायतों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले स्कूलों में खेल के मैदानों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) और राज्य सरकार/केंद्र सरकार की किसी भी अन्य स्कीम (स्कीमों) के अभिसरण से चेंज रूम, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा (महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग) आदि से युक्त आधुनिक खेल के मैदानों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रति खेल के मैदान के लिए उपयुक्त अनुदान दिया जा सकता है।

viii) उनके इष्टतम उपयोग के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म पर खेल के मैदानों और खेल के अवसंरचना की एक राष्ट्रीय सूची तैयार की जाएगी। खेल विभाग द्वारा डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसका रखरखाव किया जाएगा।

ix) गुजरात, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों वर्ष 2021-22 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए खेल अवसंरचना के विकास के लिए केवल 100 करोड़ रुपये तक सहायता अनुदान दिया जा सकता है।

x) **वित्त पोषण**: देश में महत्वपूर्ण अवसंरचना के गैप और खेल के मैदानों के विकास के लिए खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन के वित्तपोषण के लिए 1879 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की जाएगी।

1.3.2 खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास

I. खेल प्रतियोगिताएं

i) खेलो इंडिया खेल कौशल का प्रदर्शन करने के लिए बुनियादी मंच होगा और तदनुसार प्रतिभाओं को खोजने और प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा का पता लगाने और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करने का मंच होगा।

ii) केंद्र सरकार देश भर में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं अर्थात खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता वाली खेल विधाओं का आयोजन करेगी। इन खेलों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अतिरिक्त खेल विधाओं को शामिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार शीतकालीन खेलों विधाओं के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का भी आयोजन करेगी।

iii) राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिताएं संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ), स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) और विश्वविद्यालय खेल संवर्धन निकायों और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) की सहभागिता से ओलंपिक मूवमेंट की सच्ची भावना के अनुरूप आयोजित की जाएंगी।

iv) प्रतिभा पहचान और विकास कार्यक्रम के लिए नेशनल यूथ गेम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स में चिन्हित टैलेंट पूल, एक महत्वपूर्ण इनपुट होंगे जिसके लिए उपयुक्त मानदंड तैयार किए जाएंगे।

v) अधिक से अधिक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए देश भर में प्रमुख टीम खेलों में स्कूल और विश्वविद्यालय लीग की एक प्रणाली शुरू की जाएगी।

vi) प्रतिभा पहचान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इन कार्यकलापों के संचालन के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खेल विभाग के माध्यम से स्थानीय या राज्य स्तर पर किसी भी श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के प्रस्ताव किसी भी संगठन, संघ या किसी भी या संस्थान द्वारा भेजे जा सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को विभिन्न खेल विधाओं के जिला और राज्य स्तर के परिसंघों/संघों की सहभागिता से अभिज्ञात खेल विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के वार्षिक कलैण्डर (ए.सी.टी.सी.) दरों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जायेगी।

vii) रक्षा और अर्धसैनिक बलों जो खेल अवसंरचना से सुसज्जित हैं, में बड़े पैमाने पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार की जाएंगी, और इसके लिए उपयुक्त निधियन पर विचार किया जाएगा।

viii) **वित्त पोषण:** खेलो इंडिया गेम्स भारतीय ओलंपिक संघ और प्रतिभागी राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से ओलंपिक मूवमेंट की सच्ची भावना के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं के प्रत्येक सेट में लगभग 8,000 एथलीट और अधिकारी भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं अर्थात खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजन के लिए 22 करोड़ रु. की वार्षिक धनराशि निर्धारित की जाएगी।

II. प्रतिभा पहचान और विकास

i) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संभावित प्रतिभाओं का इष्टतम उपयोग करने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए एक खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उस खेल विशेष के लिए उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय प्रणाली/संरचना तैयार की जाएगी। यह भविष्य में भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक कदम होगा।

ii) जमीनी स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट एथलीटों के विकास के लिए एक पिरामिड संरचना को लागू करने की आवश्यकता है। प्रतिभा की पहचान और विकास का पिरामिड-फ्लो पैटर्न निम्नानुसार है।

iii) जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान: प्रतिभा की पहचान के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा-

क. संभावित प्रतिभा - खेलो इंडिया मोबाइल ऐप और फिट इंडिया ऐप का उपयोग डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाएगा जिसके लिए आयु-उपयुक्त प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं; संभावित प्रतिभा की पहचान के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पीईटी) की विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाएगा।

ख. प्रमाणित प्रतिभा - क्षेत्रीय समितियों द्वारा नियुक्त स्काउटों द्वारा प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण अकादमियों में स्काउट्स के दौरों, शिविर, प्रतिभा खोज के लिए विशेष अभियान, प्रतिभा पोर्टल आदि के माध्यम से प्रतिभा पहचान की जाएगी।

ग. प्रतिभाशाली जमीनी स्तर के एथलीटों की सूची राज्य सरकार की खेल सुविधाओं, साई प्रशिक्षण केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य केंद्रों, खेल स्कूलों आदि को भेजी जाएगी।

iv) उत्कृष्ट प्रतिभा पहचान:

क. प्रतिभा स्क्रीनिंग कमेटी (टीएससी) विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल होने वाली प्रतिभाओं की सिफारिश करेगी (जोनल कमेटी टीएससी के रूप में भी कार्य कर सकती है)।

ख. एनएसएफ के प्रतिनिधित्व के साथ गठित प्रतिभा पहचान और विकास समिति (टीआईडीसी) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करेगी और एथलीटों को खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों में शामिल करने की सिफारिश करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो मूल्यांकन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे (उत्कृष्ट एथलीटों के लिए, प्रति एथलीट प्रति वर्ष औसतन 5 लाख रु. का कंपोनेन्ट आवंटित किया जा सकता है)। इस राशि को खेल विभाग द्वारा मुद्रास्फीति और अन्य प्रासंगिक सूचकांकों के आधार पर समय-समय पर उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

v) कौशल विकास:

क. ई-खेल पाठशाला और खेलो इंडिया जिला केंद्रों के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास।

ख. खेलो इंडिया राज्य केंद्रों (उत्कृष्टता केंद्र, स्पोर्ट्स स्कूल, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, साई ट्रेनिंग केंद्रों को फंडिंग आदि) के माध्यम से इंटरमीडिएट प्रतिभा विकास।

ग. विशिष्ट प्रतिभा का विकास खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों के माध्यम से किया जाएगा जो कि साई, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा सकती हैं। विशिष्ट प्रतिभा विकास के लिए 3000 एथलीटों के लिए प्रति एथलीट प्रति वर्ष 5 लाख रु. की सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि की हर दो साल बाद समीक्षा की जा सकती है और मुद्रास्फीति दर और अन्य प्रासंगिक सूचकांकों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

iv) खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और साई के राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल के तहत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की सहभागिता वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्राथमिकता वाली उन खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए एक मंच उपलब्ध होगा जिसमें देश को क्षमता/लाभ प्राप्त है।

v) पुरस्कार विजेताओं के चयन के अलावा, विधिवत गठित प्रतिभा पहचान समिति विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभा को पहचानने और पता लगाने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक तरीकों को भी अपना सकती है।

vi) प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन और वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए परीक्षणों के माध्यम से किए गए मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी।

vii) इसके अलावा, एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज पोर्टल द्वारा बेरोकटोक ढंग से व्यक्तिगत उपलब्धियों को अपलोड किया जा सकेगा।

viii) इसके अलावा, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बेहतर पहचान के लिए दूरस्थ स्थानों पर वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न अन्य नवीन दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे।

ix) प्रतिभा पहचान अभियान के दौरान, देशज खेलों सहित खेलों की खेल प्रतिभा केंद्रों, खेल विधा-वार पहचान की जाएगी और उनका विधिवत मूल्यांकन किया जाएगा। खेल अकादमियों के माध्यम से उस क्षेत्र में इस तरह के विशिष्ट खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

x) विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में दीर्घावधि एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत मंत्रालय द्वारा कम से कम 8 वर्ष की अवधि के लिए अभिज्ञात प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से उन खेल विधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी और उन्हें वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें समय-समय पर मंत्रालय द्वारा दरों का निर्धारण किया जाएगा और इसे अद्यतन किया जाएगा।

xi) संबंधित अभिज्ञात खेल विधा में उसकी प्रगति/ प्रदर्शन के आधार पर किसी एथलीट को सहायता जारी रखी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को निरंतर सहायता दी जाए और अच्छा प्रदर्शन न करने वालों/ उपलब्धि हासिल न करने वालों को सिस्टम से बाहर किया जा सकता है।

xii) इससे एक बड़ी बेंच स्ट्रेंथ सुनिश्चित होगी जिसकी देश में वर्तमान में कमी है।

xiii) **वित्त पोषण:** ऑनलाइन पोर्टल के रखरखाव, उन्नत वैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, प्रतिभाओं की शॉर्टलिस्टिंग और सहायता प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की सिफारिश सहित विभिन्न अवसरों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए प्रति वर्ष 90 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की जाएगी। खेल प्रतिभाओं की पहचान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से टैलेंट स्काउट्स (इस उद्देश्य के लिए नियुक्त) द्वारा अखिल भारतीय ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

III. सामुदायिक कोचिंग विकास

i) जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और विकास में सामुदायिक कोचिंग के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस स्कीम में देश में नवोदित खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और संवारने में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस स्कीम से शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ सामुदायिक कोच विकास के लिए संस्थागत सहायता की परिकल्पना की गई है।

ii) देश भर में सामुदायिक कोचों के विकास के लिए सामुदायिक कोच विकास का एक व्यापक मॉडल अपनाया जाएगा। इसमें कौशल विकास और प्रमाणन प्रणाली शामिल होगी।

iii) एक अल्पकालिक सामुदायिक कोचिंग विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और अभिज्ञात शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

iv) सामुदायिक कोच विकास के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी प्राथमिक और उन्नत स्तरों पर विकसित किए जाएंगे। प्रवीणता के स्तर के आधार पर कोच मान्यता की एक प्रणाली होगी।

v) अंपायर और रेफरी जैसे तकनीकी अधिकारियों को क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाएगी।

vi) **वित्त पोषण:** मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में पीईटी/स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में यात्रा, आवास, सामग्री विकास, प्रशिक्षण सामग्री, संकाय शुल्क आदि पर व्यय होता है। उक्त प्रशिक्षण के लिए 30 लाख रु. की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी।

1.3.3 खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां

(I) राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र

i) कोचों/अंशकालिक कोचों, सहायक स्टाफ जैसे फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजकर्ताओं, उपकरण, खेल के उचित मैदान, उपभोग्य सामग्रियों, डे-बोर्डिंग सुविधाओं आदि और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण देश भर में स्थापित बड़ी संख्या में खेल के अवसंरचना का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा है।

ii) उपयुक्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित खेल अवसंरचना के बेहतर उपयोग के लिए सहायता करने और कोचों की नियुक्ति, डे-बोर्डिंग सुविधाएं, प्रशिक्षुओं को वजीफा आदि देने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

iii) "वन स्टेट, वन गेम" पहल के तहत राज्य द्वारा चयनित प्राथमिकता वाले खेल के लिए राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और खेलो इंडिया केंद्रों को अधिकतम फंडिंग का प्रावधान किया जाएगा।

iv) राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और खेलो इंडिया केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता गैप फंडिंग सहायता का प्रावधान किया जाएगा जिसमें विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालयों सहित) शामिल हो सकते हैं। खेल विज्ञान सुविधाओं और खेल विज्ञान संसाधनों के उन्नयन पर जोर दिया जाएगा।

v) **वित्त पोषण:** प्रत्येक राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र को कोचों/अंशकालिक कोचों की नियुक्ति और उपकरण, खेल के उचित मैदान, उपभोग्य सामग्रियों, डे बोर्डिंग सुविधाओं, फिजियोथेरेपिस्ट आदि पर व्यय और लाभार्थी सहायता, मरम्मत और रखरखाव सहित आवर्ती व्यय के प्रयोजन के लिए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रु. की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। इसमें से 25 करोड़ रु. आवर्ती व्यय और 75 करोड़ रु. अनावर्ती व्यय होंगे । हर साल नए खेलो इंडिया केंद्र जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में 1 से 2 तक 1000 छोटे खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

II. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को सहायता

i) अभिज्ञात खेल प्रतिभाओं को साई राष्ट्रीय खेल अकादमियों, राज्य खेल अकादमियों या निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित खेल अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।

ii) दीर्घावधि एथलेटिक विकास (एलटीएडी) कार्यक्रम (8 वर्ष) को सुकर बनाने तथा इसमें सहायता देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य सरकारों या निजी क्षेत्र या खिलाड़ी को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत चिन्हित खेल विधाओं के लिए खेल अकादमियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा।

iii) उपयुक्त संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करके, आवश्यकता-आधारित आवर्ती और गैर-आवर्ती सहायता के लिए अकादमियों की पहचान की जाएगी।

iv) सहायता के लिए उपयुक्त एकेडमिक्स के चयन की सुविधा के लिए एकेडमिक्स की रेटिंग के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी। पैरा एथलीटों के लिए कम से कम एक अकादमी की सहायता की जाएगी।

v) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय सहित स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय किया जाएगा ताकि अभिज्ञात प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और खेल अवसंरचना के उपयोग के लिए उपयुक्त संस्थान में रखा जा सके।

vi) खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण पद्धति, निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, एलटीएडी, खेल सुविधाओं की आवश्यकताओं, खेल विज्ञान बैकअप, खेल औषधि आदि के प्रयोजन के लिए सामान्य मानदंड विकसित किए जाएंगे ताकि विभिन्न संस्थानों और अकादमियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रक्रियाओं में एकरूपता हो।

vii) **वित्त पोषण:** खेल अकादमियों को योग्यता के आधार पर खेल अवसंरचना के निर्माण और कोचों, खेल विज्ञान सहायता आदि के रूप में तकनीकी सहायता के लिए आवश्यकता आधारित सहायता के लिए 24 करोड़ रु. की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। इसमें से 12 करोड़ रु. आवर्ती व्यय और 12 करोड़ रु. अनावर्ती व्यय होगा। उच्च प्रदर्शन निदेशक, कोच, सहायक स्टाफ की नियुक्ति, उपभोग्य सामग्रियों, निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, प्रतिस्पर्धा एक्सपोजर, शिक्षा आदि के लिए आवर्ती व्यय किया जाएगा। गैर-आवर्ती व्यय उपकरण और ऐसी अकादमियों में महत्वपूर्ण अवसंरचना गैप फंडिंग के लिए किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष नए खेलो इंडिया केंद्र जोड़े जाएंगे जिससे इस घटक के लिए आवर्ती बजट में वृद्धि होगी।

1.3.4 फिट इंडिया मूवमेंट

i) सभी नागरिक अपनी दिनचर्या में फिटनेस को अभिन्न अंग बनाकर शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त, 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। सरकार इस मूवमेंट के लिए उत्प्रेरक की भूमिका

निभाएगी। फिट इंडिया एक जन-केंद्रित अभियान है जो स्वैच्छिक आधार पर अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ चलाया जाता है और यह एक सतत कार्यकलाप है। नागरिकों को किसी भी रूप में शारीरिक कार्यकलापों के लिए हर दिन समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, चाहे वह खेल, पैदल चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना, नृत्य, प्लॉगिंग, योगासन, फिटनेस क्विज़, फिटनेस कार्यक्रमों में भाग लेना या शारीरिक कार्यकलाप, जागरूकता कार्यक्रम या उसके संयोजन का कोई अन्य रूप हो। खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को इस अभियान और संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया और अंतर-संबंधों के माध्यम से समन्वय के लिए नोडल एजेंसी का कार्य सौंपा गया है। खेल विभाग में इस अभियान का संचालन एवं क्रियान्वयन खेलो इंडिया स्कीम के तहत किया जायेगा।

ii) राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस मानदंड विकसित किए जाएंगे और सभी नागरिकों, बच्चों और वयस्कों की शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए स्कूलों और संबंधित एजेंसियों को एक टूल किट प्रदान की जाएगी। इस टूल किट को किट में शामिल दिशा-निर्देशों की मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से लागू कर सकता है।

iii) खेल और शारीरिक शिक्षा के एकीकरण के लिए सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में यथा परिकल्पित खेल को स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा।

iv) **वित्त पोषण:** फिटनेस संवर्धन कार्यक्रमों, अभियानों और संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इस घटक के लिए 10 करोड़ रु. की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन के तहत 5-स्टार रेटेड स्कूलों को 25,000 रु. और 3-स्टार रेटेड स्कूलों को 10,000 रु. उपकरण खरीदने/खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए इस प्रमाणित स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में करने पर विचार किया जाएगा। फिटनेस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, स्कूलों आदि को मान्यता देने के लिए उपयुक्त पुरस्कार स्कीम भी लागू की जाएगी। फिट इंडिया क्विज और संबंधित कार्यकलापों के लिए पुरस्कार राशि के प्रावधान के साथ पुरस्कार संस्थित किए जाएंगे और इसे इस घटक से वित्त पोषित किया जाएगा।

1.3.5 खेलकूद के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना

I. शांति और विकास के लिए खेल

i) इस स्कीम में स्थानीय आबादी के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और उन्हें स्वस्थ तथा रचनात्मक कार्यकलापों में सहभागी बनाने तथा अन्य अशांत क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

ii) भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज के तहत इस संघ राज्य क्षेत्रमें खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धन उपलब्ध करा रही है। इस पैकेज के तहत कार्यकलापों को इस स्कीम के साथ जोड़कर संचालित किया जाएगा। इन अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोच, उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों, तकनीकी सहायता, प्रतिस्पर्धा आदि के लिए सॉफ्ट सपोर्ट प्रदान किया जाएगा।

iii) युवाओं की सकारात्मक भागीदारी के लिए ऐसे सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय खेल विधाओं के संबंध में ग्राम स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

iv) **वित्त पोषण:** राज्य सरकारों को सहायता के लिए और अशांत क्षेत्रों में खेल क्लबों और टीमों की सहायकता के लिए 4 करोड़ रु. की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। गृह मंत्रालय की नागरिक कार्य योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ समन्वय करके इस संबंध में उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

II. ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना

i) एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस देश के विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले विविध संस्कृति के लोगों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। इस स्कीम में निहित शांति और विकास के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने और संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ईबीएसबी के खेल घटक को खेलो इंडिया स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा। खेल विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले ईबीएसबी कार्यक्रमों में ग्रामीण और

स्वदेशी खेल, प्रचार खेल, पारंपरिक खेल आदि सहित विभिन्न खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एनएसएफ, खेल संघों और संबंधित विधाओं/खेलों में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य स्थानीय खेल निकायों को सहायता प्रदान की जाएगी।

ii) हमारे ग्रामीण और स्वदेशी/ जानजातीय खेलों को प्रदर्शित करने के लिए, भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों/प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खेल विभाग में प्राप्त अन्य उपयुक्त प्रस्तावों के लिए खेलो इंडिया स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

iii) मल्लखंब, कलारियापट्टू, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलंबम के स्वदेशी खेलों के अलावा, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य स्वदेशी/पारंपरिक खेलों से संबंधित संगठनों को भी उनके संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

iv) ऐसे खेलों की जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह न केवल सूचनाओं के प्रसार में मदद करेगा और इन खेलों के बारे में वर्तमान पीढ़ी में जिज्ञासा उत्पन्न होगी बल्कि बच्चों और युवाओं को इन खेलों को प्राथमिकता के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे भविष्य में मुख्यधारा में आने का उनका मार्ग प्रशस्त होगा।

v) स्वदेशी खेलों के आयोजन/संवर्धन और उत्थान के प्रस्ताव संबंधित संघों, परिसंघों या किसी अन्य संगठन द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खेल विभाग के माध्यम से इस तरह के कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने के प्रयोजन से भेजे जा सकते हैं।

vi) **वित्त पोषण:** राष्ट्रीय, राज्य स्तर /या स्थानीय प्रतियोगिताओं के आयोजन और इंटरैक्टिव वेबसाइट की स्थापना, रखरखाव और उन्नयन और जहां आवश्यक हो, वहां महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करके स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रु. का वार्षिक अनुदान निर्धारित किया जाएगा। घटक के तहत स्पर्धाओं/प्रतियोगिताओं के सुचारू आयोजन और संचालन के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, एनएसएफ और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने वाले गैर-सरकारी संगठनों और खेल परिसंघों/संघों की सहायता देने के लिए किया जा सकता है। सभी फंडिंग राष्ट्रीय खेल संघों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण और प्रतियोगिता (एसीटीसी) वार्षिक कैलेंडर की दरों के अनुसार होगी।

III. दिव्यांगजनों के बीच खेल को बढ़ावा देना

i) दिव्यांगजनों के लिए विशेषज्ञ खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और साई को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

ii) स्टेडियमों को दिव्यांगजनों के अनुकूल/बाधा मुक्त बनाने के लिए आवश्यक धनराशि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग के दिव्यांगजन अधिनियम (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन की स्कीम से प्राप्त की जा सकती है।

iii) शीर्ष के तहत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग खिलाड़ियों के वर्गीकरण, उपकरण, प्रशिक्षण और पैरालंपिक खेलों और विधाओं और प्रतियोगिताओं के लिए टीमों की तैयारी के लिए किया जा सकता है।

iv) दिव्यांगजनों के लिए खेल स्पर्धाओं के प्रस्ताव प्रस्तावक संगठनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खेल विभाग के माध्यम से इन स्पर्धाओं के आयोजन के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजे जा सकते हैं।

v) **वित्त पोषण:** इस घटक के तहत 2 करोड़ रु. का वार्षिक अनुदान निर्धारित किया जाएगा जिसका उपयोग एथलीटों के वर्गीकरण, इंडियन क्लासिफायर के प्रशिक्षण, और दिव्यांगजनों के लिए विशेष खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना /सहायता, कोचिंग विकास, पैरा-एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कोचिंग प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों और अन्य सक्षम व्यक्तियों के लिए कोचिंग डिप्लोमा हेतु छात्रवृत्ति और प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकता है।

IV. महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना

i) खेलो इंडिया स्कीम के सभी घटक जेंडर न्यूट्रल हैं और महिलाओं को भी खेल कार्यकलापों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए खेल प्रतियोगिता, लीग और टूर्नामेंट का विभिन्न खेल विधाओं में विभिन्न स्तर प आयोजन किया जा सकता है।

ii) ऐसी खेल विधाओं पर जोर दिया जाएगा जहां महिलाओं और अन्य वंचित समूहों और अन्य की भागीदारी कम हो ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इन खेल विधाओं में भाग लें।

iii) इस तरह की स्पर्धाओं के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावक संगठनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खेल विभाग के माध्यम से महिलाओं के लिए खेल स्पर्धाओं के आयोजन के प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।

iv) **वित्त पोषण:** भारतीय ओलंपिक संघ और प्रतिभागी राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ-साथ महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के बीच खेलों को बढ़ावा देने में शामिल अन्य संगठनों के सहयोग से ओलंपिक मूवमेंट की सच्ची भावना से स्पर्धाएं/ प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। इस घटक के तहत कार्यकलापों के आयोजन के लिए 2 करोड़ रु. की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। अपने मान्यता प्राप्त एनएसएफ के माध्यम से विभिन्न टीम खेल विधाओं के लिए महिला लीग के आयोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा । इस घटक के माध्यम से उपयुक्त वित्त पोषण और सहायता प्रदान की जाएगी।

1.4 समन्वय

i) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग, जिसे कार्य आवंटन नियम, 1961 के तहत खेल में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता के लिए काम करने का दायित्व सौंपा गया है, एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति का गठन करेगा जिसमें खेलों के विकास में सहभागी विभिन्न खेल संवर्धन बोर्डों, सीपीएसई सहित संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व होगा। एनएलईसी की अध्यक्षता सचिव (खेल) करेंगे।

ii) समिति, अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम समाभिरूपता सुनिश्चित करने के लिए खेल अवसंरचना के इष्टतम उपयोग सहित परियोजनाओं, कार्यक्रमों और खेल संवर्धन और विकास पर व्यय के संबंध में एक वार्षिक संयुक्त कार्य योजना तैयार करेगी।

iii) इससे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और मंत्रालय के नियंत्रण वाले अन्य स्वायत्त निकायों और मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा किए गए प्रयासों में समाभिरूपता आएगी।

iv) समिति भारत सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से बनाए गए सभी खेल अवसंरचना (अभ्यास स्थलों सहित) का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

v) सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, राष्ट्रीय एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए इस तरह की अवसंरचना का उपयोग करने और राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापना पर भी ध्यान दिया जाएगा।

vi) एक नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम (एनएसआरएस) विकसित की जाएगी जिसमें एथलीट, कोच और अकादमियां यहां पंजीकृत करा सकती हैं जिससे संभावित एथलीटों, कोचों और अकादमियों का राष्ट्रीय भंडार तैयार होगा, जो आगे खेल को व्यापक आधार प्रदान करने और खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के युग्मित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

1.5 निगरानी और मूल्यांकन

i) समय-समय पर खेलो इंडिया के आउटपुट/परिणामों को मूल्यांकन करने और समीक्षा करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

ii) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आईएस/बीआईएस और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार इस स्कीम के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और लेखा परीक्षा करने पर भी विचार कर सकता है।

iii) इस स्कीम का मध्यावधि और कार्यान्वयन के बाद का मूल्यांकन किसी तीसरे पक्ष/स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

1.6 प्रशासनिक व्यय

i) इस स्कीम के समग्र प्रशासन और निगरानी के लिए मिशन निदेशालय-खेल विकास को 5 करोड़ रु. की राशि आवंटित की जाएगी। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यय शामिल होंगे जैसे नियुक्त स्टाफ के लिए वेतन/मजदूरी, कार्यालय व्यय, घटक की प्रगति की निगरानी के लिए सलाहकारों की नियुक्ति, स्कीम की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), जागरूकता सृजन आदि जैसे व्यय। मंत्रालय इस आवंटित राशि से राष्ट्रीय खेल नीति, फिटनेस और खेलों आदि में व्यापक जन भागीदारी आदि जैसे क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों और कोचों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए निधिकरण करेगा।

ii) वार्षिक बजट के खेलो इंडिया स्कीम शीर्ष के तहत सभी धनराशि मिशन निदेशालय - खेल विकास, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित और वितरित की जाएगी।

1.7 सामान्य

i) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, योजना के संचालन और उसके समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रयोजन के लिए, विभाग आवश्यकता पड़ने पर प्रचालनात्मक दिशानिर्देश और अन्य आवश्यक निर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, डेलीगेशन और अन्य आदेश जारी कर सकता है।

ii) देश भर में खेलों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलो इंडिया की एक पहल के तहत कॉर्पोरेट संस्थाओं से सीएसआर फंडिंग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii) खेल विकास पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए मंत्रालय द्वारा एक खेल विकास सूचकांक और फिटनेस सूचकांक विकसित किया जाएगा, जो धनराशि के वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड भी होगा।

iv) निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीएसआर भागीदारी द्वारा अब तक विकसित की जा रही विभिन्न खेल सुविधाओं के मूल्यांकन के संबंध में एक उपयोगिता सूचकांक विकसित किया जाएगा।

v) खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेलों में लीग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति विकसित की जाएगी।

vi) इस स्कीम को लागू करते समय, एक आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू और स्वदेशी सामान विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की सहभागिता के लिए कार्यकारी एजेंसियों /संगठनों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vii) पंचायती राज संस्थाओं को गांव से जिला स्तर तक उनकी निकट पहुंच के कारण, स्कीम के कार्यान्वयन/ लेखापरीक्षा और उद्देश्यों की समाभिरूपता के लिए उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है। इन स्थानीय निकायों में स्थानीय स्तर पर ग्रामीण/स्वदेशी खेलों, खेल संस्कृति और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत आधार पर सार्वभौमिक कवरेज और लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करने की क्षमता है।

viii) जमीनी स्तर पर इस स्कीम के लाभों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार सहित केंद्र सरकार की विभिन्न पुरस्कार स्कीमों के तहत इस स्कीम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने और प्राप्त करने में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों के मूल्यांकन के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर खेलो इंडिया स्कीम को इसमें शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

2.1 अनुमोदन कार्यविधि

2.1.1 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की स्वीकृति और निगरानी के लिए सचिव (खेल) की अध्यक्षता वाली विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस स्कीम के संचालनात्मक दिशा-निर्देशों या इस स्कीम के प्रत्येक घटक में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव/अनुमोदन/कार्यान्वयन की प्रक्रिया शामिल होगी।

2.1.2 इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियां जारी करने की मंजूरी देते समय, महत्वपूर्ण घटकों में गैप की मौजूदगी पर विस्तृत विचार किया जाएगा। तदनुसार, सभी प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से एक गैप विश्लेषण अध्ययन (मांग और आपूर्ति की सीमा (या इसकी कमी) होगा ताकि उपलब्ध धनराशि का इष्टतम उपयोग किया जा सके। प्रस्तावों में समय-सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए जिनका कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समुचित अनुपालन करने की आवश्यकता है, ताकि समय की अधिकता और लागत में वृद्धि से बचा जा सके। केवल ऐसे प्रस्तावों पर, जो सभी प्रकार से पूर्ण और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों, स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

2.2 निगरानी तंत्र

2.2.1 आंतरिक निगरानी:

2.2.1.1 स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सामान्य चैनलों के माध्यम से की जाएगी जैसे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित आवधिक प्रगति रिपोर्ट मंगवाना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/ एसएआई के प्रतिनिधियों द्वारा यादृच्छिक दौरा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, निगरानी समितियों की रिपोर्ट आदि।

2.2.1.2 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है। अनुदानग्राही द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित निगरानी समिति की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। निगरानी समिति का गठन इस प्रकार होगा:

1	राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/ आयुक्त/ सचिव (युवा कार्यक्रम और खेल)/ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/ डीन जैसी भी स्थिति हो	अध्यक्ष
2	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
3	भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
4	परियोजना के प्रभारी अभियंता	सदस्य
5	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से उप सचिव/निदेशक या समकक्ष रैंक के अधिकारी	सदस्य सचिव

कोई अन्य व्यक्ति जिसे अध्यक्ष सहयोजित करना चाहें।

2.3.1.3 इस स्कीम के प्रत्येक घटक के तहत कार्यकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से निगरानी समितियों का गठन किया जा सकता है। समितियों का गठन सचिव, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा तय किया जाएगा।

2.3.2 बाहरी निगरानी:

2.3.2.1 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी बाहरी मॉनीटरों के अर्थात राज्य स्तरीय मॉनिटर्स (एसएलएम) और राज्य स्तर पर नामोदिष्ट किए जाने वाले राज्य सरकार के कम से कम उप सचिव के ग्रेड रैंक के नोडल अधिकारी के माध्यम से भी की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक मॉडल निरीक्षण प्रारूप तैयार किया जाएगा और नोडल अधिकारी कार्यान्वयन की प्रगति पर मंत्रालय को (राज्य सरकार के माध्यम से) तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2.3.2.2 राज्य स्तरीय मॉनिटर्स (एसएलएम) का पैनल: एसएलएम का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसमें विज्ञापन जारी करना, शॉर्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार शामिल होगा। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी में पूर्व अनुभव रखने वाले व्यक्ति एसएलएम के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। आवेदकों के पिछले अनुभव, तकनीकी योग्यता, सक्षमता और अन्य कारकों के ट्रैक रिकॉर्ड के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर एक समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

2.3.2.3 किसी भी एसएलएम को पैनल में शामिल करने से पहले पूर्ववृत्त/सतर्कता मंजूरी आदि के सत्यापन के रूप की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए। पैनल में शामिल होने के बाद, एसएलएम वार्षिक समीक्षा के अधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पैनल में बना रह सकता है । किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन आदि के कारण किसी एसएलएम को हटाया जा सकता है/सूची से बाहर किया जा सकता है।

2.3.2.4 एसएलएम के कार्य:

i) अंतिम रूप दिए गए कार्यों/स्थलों की सूची के आधार पर एक यात्रा कार्यक्रम तैयार करना।

ii) नियत तिथि पर निरीक्षण के लिए स्थल का भ्रमण करना।

iii) कार्यवार दौरा रिपोर्ट तैयार करना, जिसके लिए रूपरेखा/अध्याय-योजना/कोर टेबल और प्रारूप नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । इस रिपोर्ट में निरीक्षण के परिणामस्वरूप चिन्हित कमियों को सुधारने/दूर करने के लिए आवश्यक तत्काल प्रत्युपाय शामिल होने चाहिएं।

iv) प्रत्येक तिमाही के अंत में, एसएलएम द्वारा जिले के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट में आयोजना, डिजाइनिंग, कार्य स्थलों के चयन और कार्यों के निष्पादन और उसके पर्यवेक्षण में भिन्नता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल होने चाहिए। यह दीर्घकालिक उपायों की प्रकृति का होगा और इसमें प्रशिक्षण के लिए चिन्हित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों के लिए एक परिनियोजन कार्यनीति भी शामिल होगी। रिपोर्ट का सारांश भी एसएलएम द्वारा कार्रवाई बिंदुओं को दर्शाते हुए तैयार किया जाएगा।

v) नोडल अधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुधारात्मक उपाय करेगा।

vi) नोडल अधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई की निगरानी करेगा और कार्रवाई पूरी होने तक की गई कार्रवाई की त्रैमासिक स्थिति प्रस्तुत करेगा।

vii) एसएलएम की रिपोर्टों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति (एनएलईसी) द्वारा की जाएगी और यह सामान्य परिषद (जीसी) की चर्चा के लिए कार्यसूची की मदों का भी हिस्सा होगी।

viii) **वित्त पोषण:** एसएलएम के पारिश्रमिक और आकस्मिक व्यय पर व्यय प्रशासनिक व्यय से वहन किया जाएगा।

2.5 सामान्य परिषद (जीसी)

i) मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल की अध्यक्षता में जीसी स्कीम के लिए सर्वोच्च नीति बनाने वाला निकाय होगा और सभी नीतिगत मामलों को तय करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा।

खेलो इंडिया योजना की सामान्य परिषद की संरचना

क्र.सं.	जीसी की संरचना	जीसी की भूमिका
1.	माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री	अध्यक्ष
2.	माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
5.	सीईओ, नीति आयोग	सदस्य
6.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा)	सदस्य *
13.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख)	सदस्य*
14.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश)	सदस्य *
15.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना)	सदस्य *
16.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी)	सदस्य *

क्र.सं.	जीसी की संरचना	जीसी की भूमिका
17.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)	सदस्य *
18.	मुख्य सचिव, (निम्नलिखित में से एक: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)	सदस्य *
19.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
20.	महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	सदस्य
21.	अपर/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
22.	महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
24.	भारतीय एथलेटिक महासंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
25.	अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
26.	भारतीय कुश्ती संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
27.	संयुक्त सचिव (विकास) और मिशन निदेशक, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य सचिव

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों को वार्षिक आधार पर रोटेट किया जाएगा।

ii) जीसी इस स्कीम के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए सलाह देगी।

iii) नीति दिशानिर्देशों और निर्देशों सहित समग्र मार्गदर्शन देने के अलावा, जीसी इस स्कीम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति (एनएलईसी) की सिफारिशों के आधार पर सुधार के सुझाव देगी।

iv) जीसी देश में स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और निगरानी भी करेगी और एनएलईसी की सिफारिशों के आधार पर पाठ्यक्रम-सुधार उपायों पर निर्णय करेगी।

v) जीसी समय-समय पर निगरानी और सुधार मेकेनिज्म की समीक्षा करेगी और एनएलईसी की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सुधारों पर सलाह देगी।

vi) जीसी के पास देश में खेलों के विकास के हित में स्कीम के एक घटक से दूसरे घटक में निधियों को पुन: विनियोजित करने और स्कीम के खंड (खंडों) में आवश्यक परिवर्तन/छूट करने की शक्ति होगी।

vii) जीसी छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

2.6 राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति (एनएलईसी)

i) सचिव (खेल) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति (एनएलईसी) एक केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी व्यवस्था स्थापित करेगी।

खेलो इंडिया स्कीम की राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी परिषद की संरचना

क्र.सं.	एनएलईसी की संरचना	एनएलईसी में भूमिका
1.	सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
3.	महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	सदस्य
4.	अपर/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
5.	सलाहकार (एचआरडी), नीति आयोग	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य

क्र.सं.	एनएलईसी की संरचना	एनएलईसी में भूमिका
8.	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
12.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा)	सदस्य*
13.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख)	सदस्य*
14.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश)	सदस्य*
15.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना)	सदस्य*
16.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी)	सदस्य*
17.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)	सदस्य*
18.	सचिव (खेल), (निम्नलिखित में से एक: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)	सदस्य*
19.	महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
21.	निदेशक (एमडी-एसडी), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
22.	कार्यकारी निदेशक (संचालन), भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
23.	भारतीय एथलेटिक महासंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
24.	अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
25.	भारतीय कुश्ती संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
26.	संयुक्त सचिव (विकास) और मिशन निदेशक, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य सचिव

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों को वार्षिक आधार पर रोटेट किया जाएगा।

ii) यह स्कीम के कार्यान्वियन से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगी।

iii) यह इस स्कीम के कार्यान्वियन की निगरानी करेगी और पाठ्यक्रम-सुधार उपायों की सिफारिश करेगी ।

iv) यह समय-समय पर निगरानी और सुधार मेकेनिज्म की समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगी।

v) यह स्कीम के बारे में सूचना के व्यापक संभव प्रसार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देगी।

vi) एनएलईसी की साल में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान अनुमोदित /स्वीकृत सभी प्रस्तावों को सूचना और सलाह के लिए एनएलईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3. वित्तीय प्रभाव

3.1 संशोधित खेलो इंडिया स्कीम के तहत वर्षवार आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अनुमानित व्यय		
		आवर्ती	गैर- आवर्ती	कुल
1.	2021-22	170.30	1076.50	1246.80
2.	2022-23	170.30	709.26	879.56
3.	2023-24	170.30	354.24	524.54
4.	2024-25	170.30	87.00	257.30
5.	2025-26	170.30	87.00	257.30
कुल		851.50	2314.00	3165.50

3.2 व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत वर्ष-वार और घटक-वार वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है:

<u>खेलो इंडिया स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (2021-22 से 2025-26)</u>

(करोड़ रु.)

अवयव	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		कुल
	आर	एन.आर.	आर	एन.आर.	आर	एन.आर.	आर	एन.आर.	आर	एन.आर.	
1. खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन	**0.00**	**989.50**	**0.00**	**622.26**	**0.00**	**267.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1879.00**
क) प्रतिबद्ध देनदारियां	0.00	350.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
ख) नई स्पोर्ट्स इंफ्रा परियोजनाएं	0.00	237.75	0.00	211.43	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	625.50
ग) खेल के मैदान का विकास	0.00	9.75	0.00	6.83	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
घ) नेताजी सुभाष खेल पहल	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ड.) नारनपुरा, अहमदाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	0.00	292.00	0.00	204.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2. खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**561.50**
क) खेलो इंडिया गेम्स	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	110.00
ख) प्रतिभा पहचान और विकास	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	450.00
ग) सामुदायिक कोचिंग विकास	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	1.50
3. खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**620.00**
क) खेलो इंडिया केंद्र	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	500.00
ख) खेल अकादमियां	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00
4. फिट इंडिया मूवमेंट	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**50.00**
5. खेल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**50.00**
क) शांति और विकास के लिए खेल	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	20.00
ख)ग्रामीण/स्वदेशी/जनजातीय के लिए खेल	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00
ग) दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00
घ) महिलाओं के लिए खेल	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00
6. निगरानी	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**5.00**
कुल	**170.30**	**1076.50**	**170.30**	**709.26**	**170.30**	**354.24**	**170.30**	**87.00**	**170.30**	**87.00**	**3165.50**

(नोट: आर – आवर्ती, एनआर – अनावर्ती)

अतुल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

SUBJECT: CONTINUATION OF THE SCHEME OF "KHELO INDIA–NATIONAL PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF SPORTS" - REG.

No. 40-1/MYAS/MDSD/2020.—With a view to achieving the twin objectives of mass participation and promotion of excellence in sports, the Government has decided to continue the Scheme of "Khelo India – National Programme for Development of Sports" over the 15th Finance Commission Cycle (2021-22 to 2025-26) at an outlay of ₹ 3165.50 crore.

2. The Khelo India Scheme is the flagship Central Sector Scheme of the Ministry of Youth Affairs & Sports. It aims at infusing sports culture and achieving sporting excellence in the country thus allowing the populace to harness the power of sports through its cross-cutting influence. The Khelo India programme includes playfield development; community coaching development; promotion of community sports; establishment of a strong sports competition structure at both school and university level as also for rural / indigenous sports, sports for persons with disability and women sports; filling up of critical gaps in sports infrastructure, including creation of hubs of sports excellence in select universities; talent identification and development; support to sports academies; implementation of a national physical fitness drive for school children; and sports for peace and development.

3. The basic objectives, vision and structure of the extant Khelo India Scheme have been retained. However, on the basis of the experience of this Ministry while implementing the extant Scheme as well as the evaluation/recommendations of the Third-Party Evaluator, the components of the Scheme have been rearranged and rationalized by merging/subsuming some of the similar components with the larger ones, thus condensing the twelve existing components into following five components: -

(i) Creation and Upgradation of Sports Infrastructure

(ii) Sports Competitions and Talent Development

(iii) Khelo India Centres and Sports Academies

(iv) Fit India Movement

(v) Promotion of Inclusiveness through Sports

4. The other features of the Scheme are broadly retained for continuity and strengthening of the established good practices. Besides, the Scheme has been rationalised by making it leaner and simplifying the structure and approval process, as well as by removing the redundancies and syntactical deficiencies. Also, 'Khelo India Winter Games' have been included under the 'Sports Competitions and Talent Development' component. The 'Fit India Movement' has been introduced as a separate and dedicated component.

5. The Scheme provides for a Project Appraisal Committee (PAC), which will appraise all proposals received under the scheme and place them before a Departmental Project Approval Committee (DAPC) for approval. The approved projects will be subject to strict monitoring, including third party monitoring, for which State level monitors will be engaged.

6. The entire programme will be steered by a General Council (GC) chaired by the Minister in-charge, which will function as the highest policy making body for the purpose of implementation of the scheme. The General Council will be supported by a National Level Executive Committee (NLEC) headed by Union Secretary of Sports.

7. The budget allocation for the scheme is ₹ 3165.50 crore for the period 2021-22 to 2025-26.

8. The entire scheme as approved by the Cabinet, is hereby notified on this date as enclosed, for implementation with immediate effect.

KHELO INDIA – NATIONAL PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF SPORTS

(2021-22 TO 2025-26)

1. KHELO INDIA SCHEME

1.1 Vision

To infuse sports culture and achieve sporting excellence in the country.

1.2 Mission

To encourage sports across the country thus allowing the population to harness the power of sports through its cross-cutting influence, including, holistic development of children and youth, community development, social integration, gender equality, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.

1.3 Components of the Scheme

The Khelo India Scheme comprises the following components: -

i) Creation and Upgradation of Sports Infrastructure

ii) Sports Competitions and Talent Development

iii) Khelo India Centres and Sports Academies

iv) Fit India Movement

v) Promotion of Inclusiveness through Sports

1.3.1 Creation and Upgradation of Sports Infrastructure

i) Under this component, grants-in-aid will be provided to States/Union Territories (UTs), and other eligible entities such as Central/State educational institutions, autonomous bodies of the Central Government, defence/paramilitary organisations, etc. to create modern sports infrastructure as well as upgrade the existing sports and other related infrastructure.

ii) The sports infrastructure will be offered to States/UTs and other eligible entities with critical gaps in the existing infrastructure and having capacity to utilise the same.

iii) Grants-in-aid will also be provided for sports science and sports equipment.

iv) Under this component, grants-in-aid will also be provided to Central and State Universities recognized by University Grants Commission (UGC) for creation and upgradation of sports infrastructure and purchase of sports equipment. Ministry of Education will also be requested to have Ministry of Youth Affairs & Sports included in the University Grants Commission Steering Committee for Sports in Universities.

v) Khelo India Scheme will also be converged with Members of Parliament Local Area Development (MPLAD) Scheme. The States/UTs may also like to consider making a similar provision in their respective Member of Legislative Assembly Local Area Development (MLALAD) Schemes so as to enable a Member of Legislative Assembly to contribute from out of his/her MLALAD funds for development of sports infrastructure in the respective States/UTs.

vi) The Ministry of Youth Affairs & Sports will be given priority for usage of the sports infrastructure created under this Scheme, whenever required. A Memorandum of Understanding (MoU) in this regard will be signed between the Ministry and the grantee. Besides, it will also be ensured that the grantee also utilises the infrastructure judiciously. During free time, facilities would be available for use to schools, colleges, neighbourhood communities and sports associations.

vii) **Playfield Development:** Development of playgrounds in gram panchayats as well as in schools owned by the Central and State Governments will also be an area of attention under this Scheme. Support will be provided for development of modern playgrounds having change rooms, drinking water facilities, toilet facilities (separately for women and men), etc. in convergence with the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and any other scheme(s) of the State Government/Central Government. Suitable grant per playground may be given on receipt of request through the State/UT Government for this purpose.

viii) A national inventory of playfields and sports infrastructure will be prepared on a Geographic Information System (GIS) platform for their optimum utilisation. The database will be created and maintained by the Department of Sports.

ix) Grants-in-aid up to ₹ 100 crore only may be given for the development of sports infrastructure in the States/UTs of Gujarat, Manipur, Nagaland, Odisha, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands and Delhi to commemorate the 125th birth centenary of Netaji Subhash Chandra Bose during the course of the year 2021-22.

x) **Funding:** An amount of ₹ 1879 crore will be earmarked for funding the creation and upgradation of sports infrastructure to bridge critical infrastructure gaps and development of playfields in the country.

1.3.2 Sports Competitions and Talent Development

I. Sports Competitions

i) Khelo India will be the basic platform to showcase sporting skills and accordingly become a platform for talent spotting and providing development pathways for gifted and talented children to achieve excellence.

ii) The Central Government will organise National-level competitions, i.e., Khelo India Youth Games and Khelo India University Games, in respect of high priority/priority sports disciplines, like, Archery, Athletics, Badminton, Basketball, Boxing, Chess, Cycling, Football, Gymnastics, Handball, Hockey, Judo, Kabaddi, Karate, Kho-Kho, Shooting, Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball, Weightlifting, Wrestling and Wushu, at various places across the country. Additional sports disciplines may be included in these Games with the approval of the competent authority. The Central Government will also organise national-level Khelo India Winter Games annually in respect of winter games disciplines.

iii) These National-level competitions will be organised in true spirit of the Olympic Movement by associating the concerned National Sports Federations (NSFs), School Games Federation of India (SGFI) and University sports promotion bodies, including the Association of Indian Universities (AIU).

iv) Talent pool identified at the National Youth Games, National University Games and Winter Games will form a key input for the Talent Search and Development Programme for which suitable criteria will be devised.

v) A system of school and university leagues will be launched in key team games across the country to create greater participation and competition.

vi) For the purpose of encouraging identification and development of talent, proposals for organising sports competitions for any category of sportspersons at local or State level may be sent by any organisation, association, or anybody or institution irrespective of their recognition, through the Sports Department of the State/Union Territories for receiving grants-in-aid to facilitate such activities. State/UT Governments will be encouraged to conduct competitions in identified sports disciplines on their own by associating District and State level associations/federations of various sports disciplines. Financial assistance will be given as per the Annual Calendar of Training and Competition (ACTC) rates.

vii) Suitable policies would be evolved to encourage sports in a big way among Defence and Paramilitary forces, who are well endowed with sports infrastructure and appropriate funding will be considered for the same.

viii) **Funding:** The Khelo India Games will be held in the true spirit of the Olympic Movement in association with the Indian Olympic Association and the participating National Sports Federations. Each set of competitions will see participation of about 8,000 athletes and officials. An annual amount of ₹ 22 crore will be earmarked for conduct of each set of competitions, viz. Khelo India Youth Games, Khelo India University Games and Khelo India Winter Games.

II. Talent Identification and Development

i) There is a need to harness the potential talent in respective States/UTs. Accordingly, each State/UT will be encouraged to take up one sport for excellence in Olympics and create a world class system/structure in that State/UT for that particular sport. This will be a step towards becoming a sporting power in the coming years.

ii) A pyramidical structure is sought to be put in place for the identification of talented sportspersons starting from the grassroots level and culminating in the development of elite athletes for achieving excellence at international platforms. The pyramid-flow pattern of talent identification and development is described below.

iii) Grassroots Talent Identification: The following modes will be used for identification of talent -

a. Potential Talent - Khelo India Mobile App and Fit India App would be used to capture the data for which age-appropriate protocols have been developed; the expertise of physical education teachers (PETs) will also be utilised for identifying potential talent.

b. Proven Talent - Identification will be done by scouts appointed by Zonal Committees through competitions, visit of scouts to training academies, camp, special drive for talent hunt, talent portal, etc.

c. The list of talented grassroots athletes will be forwarded to State Government sports facilities, SAI training centres, Khelo India State Centres, sports schools, etc.

iv) Elite Talent Identification:

a. Talent Screening Committee (TSCs) will recommend the talent to be inducted in various training centres (Zonal committee can also act as TSCs).

b. Talent Identification & Development Committee (TIDC) formed with representation from NSFs will scout talent at National level and recommend athletes to be inducted in Khelo India accredited academies. The assessment camps if required will also be organised (for elite athletes, a component of ₹ 5 lakh per athlete per annum on average could be allocated). This amount may be suitably revised by the Department of Sports from time to time based on inflation and other relevant indices.

v) Talent Development:

a. Grassroots talent development through e-Khel Pathshala and Khelo India District Centres.

b. Intermediate talent development through Khelo India State Centres (Centres of Excellence, Sports Schools, Army Boys Sports Companies, funding to SAI training centres etc.).

c. Elite talent development will be done through Khelo India accredited academies which may be operated by SAI, State/UT Government or private entities. Support to the tune of ₹ 5 lakh per athlete per annum for 3000 athletes will be provided for Elite talent development. This amount may be reviewed after every two years and revised in accordance with inflation rate and other relevant indices.

vi) National competitions involving Schools, Colleges, Universities and National Sports Federations (NSFs) under the Khelo India Scheme, National Championships, and National Sports Talent Search Portal of SAI, will provide a platform for identification of talented sports persons in priority sports disciplines in which the country has potential/advantage.

vii) In addition to the selection of prize winners, the duly constituted Talent Identification Committee may also adopt globally accepted scientific methods to spot and identify talent in various sports disciplines.

viii) The identification of talented sportspersons will be done in a transparent manner through competitive performance and assessment made through scientifically designed battery of tests.

ix) Further, a National Talent Search Portal will provide seamless access to upload individual achievements.

x) In addition, various other innovative approaches will be adopted for carrying out scientific evaluation at remote places for better identification of the talented sportspersons.

xi) During the talent identification drive, sporting talent hubs, discipline-wise, including indigenous games, shall be identified and duly mapped. Efforts will be made through sports academies to conduct special programmes to encourage such specific sport/game in that area.

xii) Out of the talented players identified in priority sports disciplines at various levels through different avenues, best talents in those sports discipline will be identified by a High-Powered Committee and provided annual financial assistance, with rates to be decided and updated from time to time by the Ministry, for a period of at least 8 years under a Long-Term Athlete Development Programme.

xiii) Continuation of support to an individual athlete will be subject to his/her progress/performance in the identified sports discipline concerned, ensuring the best performers, having potential to excel at the highest level, are given continuous support and non-performers/ non-achievers can be taken out of the system.

xiv) This will ensure a sizable bench strength that the country is lacking at present.

xv) **Funding:** An amount of ₹90 crore per annum will be earmarked for the maintenance of the Online Portal, identification of sporting talents through different avenues, including through advanced scientific profiling, short listing of talents and recommending the best talents for providing support. Identification of sporting talent will involve conduct of pan-India trials by Talent Scouts (to be engaged for the purpose), in association with States/UTs.

III. Community Coaching Development

i) The significance of community coaching is identification and development of talent at the grassroots level cannot be ignored. Accordingly, the Scheme recognizes the pivotal role of physical education teachers and community coaches in encouragement and grooming of budding sports talent in the country. The Scheme thus envisages institutional support for community coach development along with physical education training.

ii) A cascading model of Community Coach Development will be adopted for development of community coaches across the country. This will involve skill development and certification system.

iii) A short-term community coaching development programme will be devised and identified Physical Education Teachers will be trained as Master Trainers.

iv) Online courses for community coach development will also be developed at primary and advanced levels. There will be a system of coach accreditation based upon the level of proficiency.

v) With respect to technical officials such as umpires and referees, they would be supported with capacity development programmes.

vi) **Funding:** Training of PETs/Volunteers as Master Trainers entails expenditure on travel, accommodation, content development, training material, faculty charges, etc. An annual amount of ₹ 30 lakh will be earmarked for said training.

1.3.3 Khelo India Centres and Sports Academies

I. State Level Khelo India Centres

i) A large number of sports infrastructure set up throughout the country are not being utilized optimally due to lack of coaches/part-time coaches, supports staff such as physiotherapists and masseurs, equipment, proper field of play, consumables, day boarding facilities, etc., as well as lack of adequate financial support for meeting recurring expenditure.

ii) It is proposed to support better utilization of sports infrastructure belonging to States/UTs through suitable Memorandum of Understanding (MoU) and provide support for engagement of coaches, providing day-boarding facilities, stipend to trainees, etc.

iii) Provision of maximum funding to the State Centres of Excellence and Khelo India Centres will be done for the priority sport selected by the State under the “One State, One Game” initiative.

iv) Capacity building and Viability Gap Funding support will be provisioned for State Centres of Excellence and Khelo India Centres that may include universities (including private universities). The emphasis would be on upgradation of sports science facilities and sports science resources.

v) **Funding:** Each State Level Khelo India Centre will be provided an annual grant for the purpose of engagement of coaches/part-time coaches, and expenditure on equipment, proper field of play, consumables, day boarding facilities, physiotherapists, etc., as well as requirement for recurring expenditure including beneficiary support, repair & maintenance. An annual amount of ₹100 crore will be earmarked for this purpose. Out of this, ₹25 crore will be recurring expenditure and ₹75 crore non-recurring expenditure. Each year new Khelo India Centres will be added. In addition, 1000 Small Khelo India Centres will be established in the next five years, 1 to 2 in each district across States/UTs.

II. Support to National/Regional/State Sports Academies

i) The identified sports talents will be given the option to join SAI National Sports Academies, State Sports Academies or Sports Academies established by the private sector.

ii) Grants-in-aid will be provided for establishment, operation and maintenance of sports academies in respect of identified disciplines to Sports Authority of India, State Governments or to private sector or a sports person under Public Private Partnership (PPP) mode for facilitating and supplementing Long Term Athlete Development (LTAD) programme (for 8 years).

iii) Academies will be identified for need-based support, both recurring and non-recurring, by inviting proposals from suitable entities.

iv) A system would be developed for rating of academics to facilitate selection of appropriate academics for support. At least one academy for Para Athletes will be supported.

v) There will be a close coordination with Schools and Universities including National Sports University so that the identified talented sports persons can be placed in appropriate institute for the purpose of academics, training and utilization of sports infrastructure facilities.

vi) Common norms will be evolved for the purpose of identification of sports talent, training methodology, monitoring and performance measurement systems, LTAD, requirements of sporting facilities, sports science backup, sports medicine etc., so that there is some uniformity of processes to be implemented by various Institutes and Academies.

vii) **Funding:** An annual amount of ₹ 24 crore will be earmarked for need based support for both creation of sports infrastructure and technical assistance in terms of coaches, sports science support, etc. to Sports academies on merit. Out of this, ₹ 12 crore will be recurring expenditure and ₹ 12 crore non-recurring expenditure. The recurring expenditure will be incurred for engagement of High-Performance Director, Coaches, Support Staff, Consumables, monitoring and performance measurement systems, competition exposure, education, etc. The non-recurring expenditure will be incurred to fund critical infrastructure gaps, including equipment, in such academies. Each year new Khelo India Centres will be added leading to increase in recurring budget for this component.

1.3.4 Fit India Movement

i) The Fit India Movement was launched on 29 August, 2019 for promoting physical fitness of all by inculcating a habit of fitness among all citizens. The Government will be playing the role of a catalyst for this Movement. Fit India is a people-centric movement to be run on voluntary basis with participation of as many citizens as possible and is an ongoing activity. Citizens are to be encouraged to spend time every day on physical activities in any form, be it sports, games, walking, jogging, cycling, dancing, plogging, yogasan, fitness quizzes, participation in fitness events or any other form of physical activity, awareness programmes or combinations thereof. The Department of Sports, MYAS has been entrusted with the task of the nodal agency for coordinating the implementation and propagation of this Movement and related programmes through the process and inter-linkages. The administration and implementation of this Movement in the Department of Sports will be undertaken under the aegis of the Khelo India Scheme.

ii) National Physical Fitness parameters will be evolved and a tool kit will be provided to schools and relevant agencies to evaluate physical fitness of all citizens, both children and adult. This tool kit would be easy to implement by anyone with the help of guidelines included in the kit.

iii) A mechanism will be evolved to perform an advisory role for integration of sports and physical education. Sports will be integrated with school education as envisaged in the National Education Policy, 2020.

iv) **Funding:** An annual amount of ₹ 10 crore will be earmarked for the component for organizing fitness promotion events, campaigns and related. Funds to the extent of ₹ 25,000 for procuring equipment/developing sports facilities to 5-Star and ₹ 10,000 to 3-Star rated schools under Fit India School Certification would be considered to be released as one time assistance for developing sports facilities in such certified schools Suitable award scheme would also be implemented for recognizing States/UTs, Schools etc. for their achievements in the fitness sphere. Fit India quizzes and related activities with commensurate prize money awards would also be instituted and funded from this component.

1.3.5 Promotion of Inclusiveness through Sports

I. Sports for Peace and Development

i) The Scheme envisages the usage of sports for the promotion of peace and development in terrorism and extremism affected areas as well as other disturbed areas and areas along the international land border to promote confidence-building among the local populace and bringing the youth into the mainstream and engaging them in healthy and constructive activities.

ii) The Government of India, under the Special Package for Jammu and Kashmir is providing funds for enhancement of sports facilities in the Union Territory. The activities under this Package will be carried out by dovetailing them with this Scheme. To ensure optimal utilization of these infrastructure, soft support in terms of coaches, equipment, consumables, technical support, competition etc. will be provided.

iii) Efforts will be made to organise village level competitions in respect of sports disciplines popular in all such areas for positive engagement of youth.

iv) **Funding:** An annual amount of ₹ 4 crore will be earmarked for support to State Governments and for supporting Sporting Clubs and teams in disturbed areas. Suitable criteria will be laid down in this regard by co-ordination with Central Armed Police Forces (CAPFs) as part of Civic Action Plan of Ministry of Home Affairs.

II. Promotion of Rural and Indigenous/Tribal Games

i) Ek Bharat Shrestha Bharat (EBSB) is an ambitious programme of the Ministry of Education, which aims at enhancing interaction of people of diverse culture living in different States/Union Territories of this country to promote national integration, peace and harmony. The sports component of EBSB would be dovetailed with the Khelo India Scheme for the purpose of organising the events and implementing the objectives of peace and development inherent in this Scheme. EBSB events to be organised by the Department of Sports would include a variety of sports disciplines, including rural and indigenous games, promotional sports, traditional games, etc. For this purpose, support and assistance would be provided to the NSFs, sports associations and other local sports bodies specialising respective disciplines/games.

ii) In order to showcase our rural and indigenous/tribal games, financial assistance may be provided under the Khelo India Scheme for organising rural and indigenous/tribal games/competitions through Ek Bharat Shrestha Bharat (EBSB) programme of the Government of India and other suitable proposals received in the Department of Sports.

iii) In addition to the indigenous games of Mallakhamba, Kalaripayattu, Gatka, Thang-Ta, Yogasana and Silambam, organisations related to other indigenous/traditional games of different States/Union Territories would also be provided financial assistance for their promotion and encouragement.

iv) Information on such games will also be made available through online and offline modes. This will not only help disseminate information and ignite the curiosity of the present generation about these games but also encourage children and youth to take up these games in a major way, paving way for their future mainstreaming.

v) Proposals for organising events/promotion and upliftment of indigenous games may be sent by the associations, federations concerned or any other organisation through the Sports Department of the State/Union Territories for the purpose of receiving grants-in-aid to facilitate such activities.

vi) **Funding:** An annual grant of ₹ 2 crore will be earmarked for promoting indigenous games by organising national, state level and/or local competitions and installing, maintaining and upgrading the interactive website and supporting critical infrastructure where required. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, and other relevant stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the events/ competitions under the component. The funds may be used for supporting NGOs and Sports Federations/Associations promoting rural and indigenous/tribal games. All the funding will be as per Annual Calendar of Training and Competition (ACTC) rates fixed for the National Sports Federations.

III. Promotion of Sports among Persons with Disabilities

i) Financial assistance may be provided to States/UTs and SAI for creation of specialist sports infrastructure for persons with disabilities.

ii) Funds required for making stadia disabled friendly / barrier free may be accessed from Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA) of Department of Empowerment of Persons with Disabilities.

iii) The funds provided under this head may be used for classification of players, equipment, training and preparation of teams for Paralympic Games and disciplines and competitions.

iv) Proposals for organising sports events for persons with disabilities may be sent by the proponent organisations through the Sports Department of the State/Union Territories for the purpose of receiving grants-in-aid to facilitate such events.

v) **Funding:** An annual grant of ₹ 2 crore will be earmarked under this component which may be utilized for classification of athletes, training of Indian classifiers, and setting up/supporting Specialised Sports Training Centres for people with disabilities, coaching development, scholarships for coaching diploma both by differently abled persons and able-bodied persons seeking coaching for training para-athletes, and competitions.

IV. Promotion of Sports among Women

i) While all the components of the Khelo India Scheme are gender neutral and afford opportunities to women too for participating in sporting activities and development of sports, competitions, leagues and tournaments for women, as well as other disadvantaged groups may be organised in different disciplines at various level.

ii) Emphasis will be laid on such sports disciplines where there is less participation of women and other disadvantaged groups and other so that a greater number of women will participate in such sports disciplines.

iii) Proposals for organising sports events for women may be sent by the proponent organisations through the Sports Department of the State/Union Territories for the purpose of receiving grants-in-aid to facilitate such events.

iv) **Funding:** The events/competitions should be held in the true spirit of the Olympic Movement in association with the Indian Olympic Association and the participating National Sports Federations as well as other organisation involved in promotion of sports among women and other disadvantaged groups. An annual amount of ₹ 2 crore will be earmarked for organising the activities under this component. Hosting of women leagues will be encouraged for various team sports disciplines through their recognised NSFs. Suitable funding and support will be provided through this component.

1.4 Coordination

i) The Department of Sports under the Ministry of Sports & Youth Affairs, which is mandated under the Allocation of Business Rules, 1961 to work for mass participation and excellence in Sports, will set up a National Level Executive Committee which would have representation from all relevant Ministries/Departments, including various Sports Promotion Boards, CPSEs, which are involved in sports development. The NLEC will be chaired by the Secretary (Sports).

ii) The Committee, *inter alia*, shall prepare an Annual Joint Action Plan with respect to projects, programmes and expenditure on sports promotion and development, including optimal utilization of sports infrastructure, in order to achieve maximum convergence.

iii) This would also enable convergence with the efforts made by the Ministry of Youth Affairs & Sports, Sports Authority of India and other autonomous bodies under the control of the Ministry and the National Sports Federations, which are supported by the Ministry.

iv) The Committee shall also be mandated to ensure optimum utilization of all sports infrastructure (including practice venues) that were created through budgetary support from Government of India.

v) Apart from community sports promotion, focus shall also be there on using such infrastructure for training of national athletes as also setting up national academies.

vi) A National Sports Repository System (NSRS) will be developed wherein the athletes, coaches and academies can register themselves hereon to build a national repository of prospective athletes, coaches and academies, which will further achieve the twin objectives of broad basing of sports and promotion of excellence in sports as laid down under the Scheme.

1.5 Monitoring and Evaluation

i) A robust monitoring mechanism will be set up to measure and review the outputs/outcomes of Khelo India on a periodic basis.

ii) The Ministry of Youth Affairs and Sports may also consider carrying out monitoring, supervision, quality control and audit of the projects financed under this Scheme as per the provisions of IS/BIS and CPWD Works Manual Guidelines.

iii) A mid-term and post-implementation evaluation of the Scheme will be conducted by a third party / independent agency.

1.6 Administrative Expenses

i) An amount of ₹ 5 crore will be allocated to the Mission Directorate – Sports Development for the overall administration and monitoring of the Scheme. This will also include expenses such as salary/wages of staff engaged, office expenses, engagement of consultants for monitoring of progress of the component, Information, Education & Communication (IEC) of the Scheme, awareness creation, etc. The Ministry shall fund capacity development training programmes and workshops for senior officers, managers and coaches in areas such as National Sports Policy, mass participation in fitness and sports, etc. from the above allocation.

ii) All funds under the Khelo India Scheme head of the annual budget will be handled and disbursed by the Mission Directorate – Sports Development, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports.

1.7 General

i) The Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, shall be responsible for operationalising the Scheme and overall implementation and monitoring of the same. For this purpose, the Department may issue operational guidelines and other necessary directives, circulars, notifications, delegations and other orders, as and when required.

ii) Private sector participation will be encouraged for the development of sports across the country. CSR funding from corporate entities, as a part of the Khelo India initiative shall also be encouraged.

iii) A Sports Development Index and Fitness Index will be developed by the Ministry to grade States/ UTs on sports development, which will also be an important parameter for disbursal of funds.

iv) A Utilization Index will be developed with respect to mapping of various sports facilities being developed so far by the private sector, public sector and CSR participation across various States/UTs.

v) A policy for encouraging the growth of Leagues in different sports shall be evolved by the Department of Sports.

vi) While implementing the Scheme, necessary directions will be issued to the executing agencies / organisations to involve domestic and indigenous goods manufacturers and service providers to achieve the goal of a self-reliant India (Atmanirbhar Bharat).

vii) Panchayati Raj Institutions, owing to their proximity from village to district levels, may be appropriately involved for implementation/audit of the Scheme and convergence of the objectives. These local bodies have the potential for universal coverage and enlisting people's participation on an institutionalized basis for promoting rural/ indigenous games, sports culture and talent at local levels.

viii) To catalyse the utilisation of benefits of this Scheme to the grassroots level, it is envisaged to include the Khelo India Scheme for evaluation of the districts across all States and Union Territories on the basis of their performance in implementing and achieving the objectives of this Scheme, under various Awards Schemes of the Central Government, including the Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration.

2.1 Approval Mechanism

2.1.1 The project proposals will be appraised by the Project Appraisal Committee (PAC), which will submit its recommendations to the Departmental Project Approval Committee (DPAC) headed by Secretary (Sports) for approval and monitoring of implementation. The Operational Guidelines or each component of this Scheme will, *inter alia*, include the procedure for proposal/approval/implementation.

2.1.2 While sanctioning the release of funds for various activities under different components of the Scheme, the overarching consideration will be existence of gap in critical components. Accordingly, all proposals will necessarily have to contain a gap analysis study (indicating the extent of demand and supply (or lack of it) so that the available funds can be utilized optimally. The proposals should also contain timelines which need to be adhered scrupulously by the implementing agency, so that time overruns and cost overruns can be avoided. Only such proposals, which are complete in all respects and technically feasible, will be considered for sanction.

2.2 Monitoring Mechanism

2.2.1 Internal Monitoring:

2.2.1.1 Monitoring of progress of implementation of the Scheme will be done through normal channels like calling for periodic progress reports supported by documentary evidence, random visits by representatives of the MYAS/SAI, furnishing of Utilisation Certificates, reports of the Monitoring Committees and so on.

2.2.1.2 A Monitoring Committee may be constituted to watch the progress of the projects in each State/UT. It will be mandatory for the Utilization Certificates furnished by the grantee to be accompanied by the report of the respective Monitoring Committee. The constitution of the Monitoring Committee shall be as follows: -

1	Principal Secretary/ Commissioner/ Secretary (Sports and Youth Affairs)/ of the State or UTs /Registrar/ Dean of University as the case may be	Chairperson
2	Representative from Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
3	Representative from Sports Authority of India	Member
4	Engineer In-charge of the project	Member
5	Deputy Secretary/Director or officer of equivalent rank from the concerned State/UT Government	Member Secretary

Any other person the Chairperson may like to co-opt.

2.3.1.3 Monitoring Committees may be formed for the purpose of monitoring the implementation of activities under each Component of this Scheme. The composition of the Committees will be decided by the Secretary, Department of Sports, MYAS.

2.3.2 External Monitoring:

2.3.2.1 Monitoring of progress of implementation of projects may also be done through external monitors viz. State Level Monitors (SLM) and a Nodal Officer of the rank of minimum grade of Deputy Secretary to the State Government, to be designated as such at the State level. A model inspection format will be prepared for the purpose and the Nodal Officer will submit quarterly report to the Ministry (through the State Government) on progress of implementation.

2.3.2.2 Empanelment of State Level Monitors (SLM): SLMs will be selected through a transparent process which will include issuing an advertisement, short listing, and interview. Individuals having prior experience in monitoring progress of projects will be eligible for appointment as SLM. Based on an objective assessment of the track record of applicants, past experience, technical qualifications, competence and other factors, the selection will be made by a committee.

2.3.2.3 A background check of the form of verification of antecedents/ vigilance clearance etc. may be carried out before empanelling any SLM. Once empanelled, the SLM may remain on the panel for a period of three years, subject to annual review. An SLM may be removed/ delisted because of non-satisfactory performance, etc. at any time.

2.3.2.4 Functions of the SLMs:

i) Prepare a visit plan, based on the list of works/ sites finalized.

ii) Visit the site for inspection on the appointed date.

iii) Prepare visit report work wise, the framework/chapter-plan/core tables and format for which would be made available by the Nodal Officer. This report should include immediate counter measures required to be taken to rectify/ correct deficiencies identified as a result of the inspection.

iv) At the end of every quarter, a consolidated report for the district shall be prepared by the SLM and submitted to the State Government through Nodal Officer. This report should include measures to be taken to prevent recurrence of deviations in planning, designing, selection of worksites and execution of works and supervision thereof. This would be in the nature of long term measures and would include areas identified for training. This report will also contain a deployment strategy for the suggested measures. A summary of the report shall also be made by the SLM bringing out the Action Points.

v) The Nodal Officer shall take corrective measures through the Implementing Agency.

vi) The Nodal Officer shall monitor the corrective action and furnish the action taken status quarterly till such time that action is complete.

vii) Action taken by the State Government on the reports and suggestions of SLMs will be reviewed by the National Level Executive Committee (NLEC) and will also be a part of the agenda item for discussion of the General Council (GC).

viii) **Funding**: Expenditure on remuneration and incidentals of SLMs will be borne out of the administrative expenses.

2.5 General Council (GC)

i) The GC chaired by the Minister, Youth Affairs & Sports will be the highest policy making body for the Scheme and will be fully empowered to decide all policy matters.

Composition of General Council of Khelo India Scheme

S. No.	Composition of GC	Role in GC
1.	Hon’ble Minister of Youth Affairs & Sports	Chairperson
2.	Hon’ble Minister of State for Youth Affairs & Sports	Deputy Chairperson
3.	Secretary (Sports), Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
4.	Secretary (Youth Affairs), Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
5.	CEO, NITI Aayog	Member
6.	Secretary, Ministry of Panchayati Raj	Member
7.	Secretary, Ministry of Rural Development	Member
8.	Secretary, Department of School Education, Ministry of Education	Member
9.	Secretary, Ministry of Tribal Affairs	Member
10.	Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment	Member

S. No.	Composition of GC	Role in GC
11.	Secretary, Ministry of Women & Child Development	Member
12.	Chief Secretary, (One among the following: Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)	Member*
13.	Chief Secretary, (One among the following: Chandigarh, Delhi, Jammu & Kashmir and Ladakh)	Member*
14.	Chief Secretary, (One among the following: Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh)	Member*
15.	Chief Secretary, (One among the following: Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana)	Member*
16.	Chief Secretary, (One among the following: Andaman & Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry)	Member*
17.	Chief Secretary, (One among the following: Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra)	Member*
18.	Chief Secretary, (One among the following: Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal)	Member*
19.	Director General, Sports Authority of India	Member
20.	Director General, Central Reserve Police Force	Member
21.	Additional/ Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
22.	Director General, Nehru Yuva Kendra Sangathan	Member
23.	Joint Secretary (Youth Affairs), Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
24.	Representative of Athletic Federation of India	Member
25.	Representative of All India Football Federation	Member
26.	Representative of Wrestling Federation of India	Member
27.	Joint Secretary (Development) & Mission Director, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member Secretary

* *The members of States/ Union Territories will be rotated on annual basis.*

ii) The GC will advise for effective and efficient implementation of the Scheme.

iii) Apart from giving overall guidance, including policy guidelines and directions, the GC will review the performance of the Scheme and suggest improvements based on recommendations of the National Level Executive Committee (NLEC).

iv) The GC will also evaluate and monitor implementation of the Scheme in the country and decide on course- correction measures based on recommendations of the NLEC.

v) The GC will review the monitoring and redressal mechanism from time to time and advise on improvements required based on recommendations of the NLEC.

vi) The GC will have the power to re-appropriate funds from one component of the Scheme to another and make necessary changes/relaxations in the clause(s) of the Scheme in the interest of development of sports in the country.

vii) The GC will meet at least once in six months.

2.6 National Level Executive Committee (NLEC)

i) The National Level Executive Committee (NLEC), chaired by Secretary (Sports) will establish a central evaluation and monitoring system.

Composition of National Level Executive Council of Khelo India Scheme

S. No.	Composition of NLEC	Role in NLEC
1.	Secretary (Sports), Ministry of Youth Affairs & Sports	Chairperson
2.	Director General, Sports Authority of India	Member
3.	Director General, Central Reserve Police Force	Member
4.	Additional/ Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
5.	Adviser (HRD), NITI Aayog	Member
6.	Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj	Member
7.	Joint Secretary, Ministry of Rural Development	Member
8.	Joint Secretary, Department of School Education, Ministry of Education	Member
9.	Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs	Member
10.	Joint Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment	Member
11.	Joint Secretary, Ministry of Women & Child Development	Member
12.	Secretary (Sports), (One among the following: Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)	Member*
13.	Secretary (Sports), (One among the following: Chandigarh, Delhi, Jammu & Kashmir and Ladakh)	Member*
14.	Secretary (Sports), (One among the following: Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh)	Member*
15.	Secretary (Sports), (One among the following: Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana)	Member*
16.	Secretary (Sports), (One among the following: Andaman & Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry)	Member*
17.	Secretary (Sports), (One among the following: Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra)	Member*
18.	Secretary (Sports), (One among the following: Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal)	Member*
19.	Director General, Nehru Yuva Kendra Sangathan	Member
20.	Joint Secretary (Youth Affairs), Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
21.	Director (MD-SD), Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
22.	Executive Director (Operations), Sports Authority of India	Member
23.	Representative of Athletic Federation of India	Member
24.	Representative of All India Football Federation	Member
25.	Representative of Wrestling Federation of India	Member
26.	Joint Secretary (Development) & Mission Director, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member Secretary

* The members of States/ Union Territories will be rotated on annual basis.

ii) It will advise the Central Government on all matters concerning the implementation of the Scheme.

iii) It will monitor implementation of this Scheme and recommend course-correction measures.

iv) It will review the monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements required.

v) It will advise the Central Government on promoting the widest possible dissemination of information about the Scheme.

vi) The NLEC will meet at least thrice a year.

All proposals approved/sanctioned during the preceding quarter will be laid before the NLEC for information and advice thereon.

3. Financial Implications

3.1 The details of recurring expenditure and non-recurring expenditure under the revised Khelo India Scheme, year-wise, are tabulated below:

(₹ in crore)

S. No.	FINANCIAL YEAR	ESTIMATED EXPENDITURE		
		RECURRING	NON-RECURRING	TOTAL
1.	2021-22	170.30	1076.50	1246.80
2.	2022-23	170.30	709.26	879.56
3.	2023-24	170.30	354.24	524.54
4.	2024-25	170.30	87.00	257.30
5.	2025-26	170.30	87.00	257.30
TOTAL		851.50	2314.00	3165.50

3.2 The year-wise and component-wise financial outlay as recommended by the Expenditure Finance Committee is given below:

Total Financial Outlay for Khelo India Scheme (2021-22 to 2025-26)

(in ₹ crore)

Component	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		Total
	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	
1. Creation and Upgradation of Sports Infrastructure	**0.00**	**989.50**	**0.00**	**622.26**	**0.00**	**267.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1879.00**
a) Committed liabilities	0.00	350.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
b) New sports infra projects	0.00	237.75	0.00	211.43	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	625.50
c) Playfield Development	0.00	9.75	0.00	6.83	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
d) Netaji Subhash Sports Initiative	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
e) Sports Complex at Naranpura, Ahmedabad	0.00	292.00	0.00	204.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2. Sports Competitions and Talent Development	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**112.30**	**0.00**	**561.50**
a) Khelo India Games	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	110.00
b) Talent Identification & Development	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	450.00
c) Community Coaching Development	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	1.50
3. Khelo India Centres and Sports Academies	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**37.00**	**87.00**	**620.00**
a) Khelo India Centres	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	500.00
b) Sports Academies	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00

4. Fit India Movement	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**50.00**
5. Promotion of Inclusiveness through Sports	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**50.00**
a) Sports for Peace and Development	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	20.00
b) Sports for rural/indigenous/tribal	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00
c) Sports for disabled sportspersons	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00
d) Sports for Women	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00
6. Monitoring	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**5.00**
Total	**170.30**	**1076.50**	**170.30**	**709.26**	**170.30**	**354.24**	**170.30**	**87.00**	**170.30**	**87.00**	**3165.50**

(Note: R - Recurring, NR - Non-recurring)

ATUL SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.24 22:36:10 +05'30'